बिहार सरकार

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

उद्घोषक के चयन एवं सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग अंतर्गत राजकीय/अराजकीय समारोहों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दक्ष एवं अनुभवी उद्घोषक से दो वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध पर उद्घोषण कार्य करने के लिए विभागीय पैनल में सूचीबद्ध करने हेतु दिनांक–19.03.2026 तक विहित प्रपत्र (अनुलग्क–1 संलग्न) में आवेदन निबंधित डाक द्वारा अथवा स्वयं सीलबंद लिफाफे में हाथो–हाथ निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से आमंत्रित किये जाते है। समर्पित आवेदनों के साथ संलग्न कागजात के जाँचोपरांत पात्र आवेदकों को अपने उद्घोषण प्रदर्शन हेतु एक नियत तिथि को विभाग में बुलाया जाएगा। इस हेतु विभाग द्वारा किसी तरह का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उद्घोषण प्रदर्शन के पश्चात् पात्र आवेदकों को विभाग में आदेश निर्गत तिथि से अगले दो वर्षों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

पैनल संबंधी नियत शर्तों एवं विहित प्रपत्र की विस्तृत जानकारी हेतु नया सचिवालय के सामने, सूचना भवन के द्वितीय तल पर स्थित प्रशाखा–3 में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 09:30 से संध्या 05:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html पर भी देखा जा सकता है।

आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक–1 संलग्न) के साथ निम्न कागजात संलग्न करना आवश्यक हैं–

01. तीन अदद अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो।
02. आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
03. पैन कार्ड।
04. तीन वर्षों का उद्घोषक के रूप में कार्य अनुभव से संबंधित साक्ष्य संलग्न करना होगा।

(अनिल कुमार)
निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–गी0ना0–1–28/2002 पार्ट 509 सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक– 26/02/26

प्रतिलिपिः–उप निदेशक, विज्ञापन, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रमुख समचारपत्रों में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
सूचना भवन, पटना–800015

आवेदन–प्रपत्र

1	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	....
2	पता	....
3	स्थान	....
4	दिनांक	....
5	जन्म तिथि	....
6	पिता/पति का नाम	....
7	शैक्षणिक योग्यता	....
8	अनुभव	....
9	पिछले किए गये कार्यक्रमों का विवरण (अतिरिक्त पन्नों में संलग्न करें)	....
10	वर्त्तमान में किसी कार्यालय/संस्था में कार्यरत है अथवा नहीं	....
11	कागजात (दस्तावेजों की संख्या)	....
12	पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न का विवरण	....
13	दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम और पता (जिनके द्वारा क्षमता को प्रमाणित किया गया है।)	1.................................... 2....................................

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है तथा यदि इसमें कोई विसंगति पायी जाती है तो सूचीबद्धता हेतु आवेदक को अयोग्य समझा जायेगा। तिथिः–

स्थानः–

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः– विस्तृत जानकारी हेतु नया सचिवालय के सामने, सूचना भवन के द्वितीय तल पर प्रशाखा–3 में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 09:30 से संध्या 05:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है, अथवा विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/prdbihar/CitizenHome.html पर भी देखा जा सकता है।

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

उद्घोषक के चयन एवं सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग अन्तर्गत दो वर्षों की अवधि के लिये अनुबंध पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पैनल बनाने हेतु दक्षता एवं मान्यता प्राप्त उद्घोषक द्वारा निम्नांकित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं (अनुलग्नक–1)।

1. विभागीय गीत नाट्य शाखा का उद्देश्य बिहार सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों पर आधारित विभिन्न योजनाओं, नीतियों सहित साम्प्रदायिक सद्भाव, नशा विमुक्ति, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, महिला अधिकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा आदि मुख्य विषयों पर नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु कार्यक्रम कराना होता है। इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु उद्घोषक की आवश्यकता है।
2. बिहार सरकार द्वारा आयोजित राजकीय समारोहों के अवसर पर महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री अथवा अन्य मंत्री भी समयानुसार उपस्थित रहते हैं। ऐसे उच्चस्तरीय कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भजनादि कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण किए जाते हैं जिनका काफी महत्व होता है। अतः राजकीय समारोह के संचालन हेतु एक उद्घोषक (एकल कलाकार) का रहना आवश्यक है।
3. विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के समक्ष संर्पूण राज्य के लिए कार्यक्रम संचालन हेतु उद्घोषक को नियत तिथि तक आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों के आलोक में उद्घोषक (एकल कलाकार) को उनके कला प्रदर्शन का अवसर दिया जायेगा। समिति द्वारा प्रदर्शन के आधार पर उद्घोषक (एकल कलाकार) का चयन किया जाएगा तथा चयनित उद्घोषक (एकल कलाकार) की एक सूची तैयार की जाएगी।
4. सभी उद्घोषकों (एकल कलाकार) से पूर्व से नियत दरों पर कार्य कराने के संबंध में निम्न तथ्यों पर सहमति प्राप्त की जाएगी।

निर्धारित दर

I. Fee Structure in respect of Empanelled Artistes (EAs) :

Amount of Fees of executed programme (Single category in place of 'A', 'B', 'C')		
Remuneration for local programmes (fees per day)	**Remuneration for outstation programmes (fees per day)**	**Rehearsal fee per day**
Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand Only) per programme	Rs. 1,500/- (Rupees One Thousand Five Hundred Only) per programme	Rs. 400/- (Rupees Four Hundred Only) per programme
• **In the event, there are more than one programme in a day, additional fee @ Rs. 300/- (Rupees Three Hundred Only) per day on such programme days.**		

उद्घोषक के लिए आवश्यक शर्तें:–

1. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सूचना भवन पटना स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक समर्पित करना होगा।
2. चयन हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. उद्घोषक (एकल कलाकार) का पैन कार्ड एवं आधार कार्ड तथा अन्य सभी साक्ष्यों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. उद्घोषक (एकल कलाकार) की उम्र 18 (अठारह) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
6. उद्घोषक (एकल कलाकार) को उद्घोषणा क्षेत्र की जानकारी एवं न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव आवश्यक है।
7. उद्घोषणा संबंधी किसी कार्यक्रम में आवेदक का नाम एवं पूर्ण विवरण के साथ हाल में खींची गयी तीन फोटो स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
8. पहनावा, श्रृंगार, गुणों का प्रयोग और वांछित संदेश को आकर्षक ढंग से सम्प्रेषित करने की क्षमता के आधार पर क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाएगा।

9. कार्यक्रम संपादनोपरांत विपत्र के साथ संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी अथवा कार्यक्रम विशेष के प्रभारी के हस्ताक्षर से निर्गत कार्य प्रतिवेदन, उनके द्वारा सत्यापित कार्यक्रम के फोटोग्राफ कार्यक्रम संपन्न होने के साक्ष्य के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. सूचीबद्ध उद्घोषकों (एकल कलाकार) से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल सूचना मिलने पर भी 10–15 दिन की अवधि के लिए राज्य के किसी कार्य क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने पर तदनुसार कार्यक्रम सम्पादित करने में सक्षम होंगे।
11. राज्य के बाहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर ही 3rd A.C. रेल किराया/चेयर कार/डीलक्स बस का किराया देय होगा।
12. आवेदन में पूर्ण पते के साथ एक डाक टिकट सहित लिफाफा (12/26) संलग्न करना होगा।
13. पहनावा एवं श्रृंगार पर होने वाले व्यय उद्घोषक (एकल कलाकार) को स्वयं वहन करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
14. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को किसी भी आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र दिनांक–..........................तक निबंधित डाक द्वारा अथवा स्वयं निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सूचना भवन, पटना स्थित कार्यालय कोषांग में समर्पित करना अनिवार्य है। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
15. आवेदक द्वारा स्क्रीनिंग कमिटी के समक्ष प्रदर्शन हेतु अलग से तिथि निर्धारित कर सूचित किया जायेगा।

(अनिल कुमार)
निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–गी0ना0–1–28/2002 पार्ट–2 509.........सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक–26/09/26

प्रतिलिपिः–उप निदेशक, विज्ञापन, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रमुख समचारपत्रों में प्रकाशनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक